भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2268

दिनांक 14 मार्च, 2023 के लिए प्रश्न

देशी गाय

2268. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशी गायों के वंश वृक्ष का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन गायों के महत्व के बारे में किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इन गायों के पालन से पूरक आय के स्रोत के रूप में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन गायों के गोबर और मूत्र का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की मिट्टी और फसलों के लिए विभिन्न तरीकों से खाद बनाने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रकार की खाद के उत्पादन के लिए इकाई स्थापित करने हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है और इस अनुदान का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदण्डों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अनुसार देसी गाय का वैज्ञानिक नाम 'बोस इंडिकस' है। यह विदेशी (हंपलेस) गायों (बोस टॉरस), याक (बोस ग्रनियंस), मिथुन (बोस फ्रंटालिस) आदि जैसे पशुधन के साथ ही बोस जीनस से संबंधित है। यह क्लास 'ममालिया', फाइलम 'कॉर्डेटा' और किंगडम 'एनीमेलिया' की फेमिली 'बोविडे' के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किसानों के बीच स्वदेशी गोपशु और भैंस नस्लों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए फर्टिलिटी कैंप, दूध उत्पादन प्रतियोगिता, बछड़ा रैली, किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार और कार्यशाला, कॉन्क्लेव आदि के आयोजन के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

(ख) और (ग) पशुपालन और डेयरी विभाग स्वदेशी गोपशुओं और भैंस नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईन आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा दुग्ध उत्पादन और बोवाईन की उत्पादकता में वृद्धि के लिए वर्ष 2014 से राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है और इस प्रकार किसानों के लिए डेयरी

व्यवसाय को अधिक लाभकारी बना रहा है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन के लिए पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2661.76 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर परियोजना के तहत विचार किया जाता है।

(घ) और (ड़) पशुपालन और डेयरी विभाग 15000 करोड़ रुपये की पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) का कार्यान्वयन कर रहा है और एएचआईडीएफ के तहत लाभार्थी कृषि अपशिष्ट सहित पशु अपशिष्ट से संपत्ति की श्रेणी के तहत बायोगैस संयंत्र/खाद इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। । इस योजना के तहत इकाइयों द्वारा न्यूनतम 10% मार्जिन मनी के योगदान के साथ किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), एमएसएमई, धारा 8 कंपनियां, निजी कंपनियां और व्यक्तिगत उद्यमी पात्र लाभार्थी हैं। इस योजना की अनूठी विशेषता ऋण राशि की कोई सीमा न होने के साथ 8 साल तक देय 3% ब्याज सबवेंशन है।

पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से ऊर्जा स्रोत के रूप में बायोगैस और जैविक खाद का उत्पादन करके गाय के गोबर के कुशल उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। खाद प्रबंधन संबधी पहल को एक केंद्रित तरीके से आगे बढ़ाने और देश भर में इसे बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड नामक एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने की अनुमति दी गई है। कंपनी देश भर में गारे (स्लरी) के कुशल उपयोग के साथ-साथ बायोगैस को बढ़ावा देती है।

पशुपालन और डेयरी विभाग अपशिष्ट से संपत्ति सृजित करने सहित देश भर में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार किसानों को लाभान्वित करने के लिए गौ आधारित प्राकृतिक खेती पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कृषि भूमि पर उपयोग के लिए किसानों के खेत में गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग करके जीवामृत, बीजामृत, दशपर्णी अर्क, आग्नेयस्त्र और नेमास्त्र जैसे विभिन्न उत्पाद तैयार किए गए। इसके अलावा, वर्मी-कम्पोस्ट बनाने के लिए गाय के गोबर के मूल्यवर्धन पर किसानों/युवाओं को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है।

******